प्रेस नोट दिनाँक- 04.12.2023

(1). आज दिनाँक 04.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.12.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे- चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में एसआईटी टीम द्वारा थाना मारकुण्डी क्षेत्रान्तर्गत डांडी अहिरान के खेत में हुयी महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 07.08.2023 को वादी श्री धीरज यादव पुत्र राजा यादव निवासी डांडी अहिरान थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी कि खजांची पंडित के खेत के पास बहद ग्राम छेरिहा खुर्द में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मां मेमा यादव की उनकी पहनी हुयी साड़ी से गला कसकर हत्या कर दी गयी है । सूचना के आधार

पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 16/2023 धारा 302 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री अनिल कुमार द्वारा प्रारम्भ की गयी। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुये अग्रिम विवेचना एसआईटी का गठन कर उसे सुपुर्द की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त राजा यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी कल्याणपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट हाल पता डांडी अहिरान मजरा छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त राजा उपरोक्त ने बताया कि मृतिका मेमा की शादी पहले मेरे चचेरे भाई छंगू यादव से हुयी थी जिससे उसकी 01 बेटी किशोरी है जिसका शादी हो चुकी है। अपने पति की मृत्यु के बाद मेमा बतौर पत्नी मेरे साथ रहने लगी थी जिससे मेरा लड़का धीरज पैदा हुया जो इस समय 19 वर्ष का है। मृतिका के पहले पति छंगू के नाम 08 बीघा जमीन थी उस जमीन को मृतिका अपनी बेटी को देना चाहती थी जिसका मैं अक्सर विरोध करता था. मैंने कई बार मेमा से अपने बेटे धीरज को भी उस जमीन से हिस्सा देने को कहा लेकिन वो मना कर देती थी। इसी बात को लेकर मेमा मुझसे भी दूरी बना कर दूसरे गांव डांडी अहिरान में रहने लगी थी और मैं कल्याणपुर में रहता था। जमीन को हाथ से जाता देख मैं विचलित सा रहता था और दिन-प्रतिदिन मेमा के प्रति हमारी नफरत बढ़ती गयी और मैनें मेमा को रास्ते से हटाने की बात मन में ठान ली थी। घटना वाले दिन मुझे जब जानकारी हुयी कि मेमा की भैंस गुम हो गयी है और वह उसे ढूंढने गयी है तो मैं भी भैंस ढूढ़ने के बहाने निकला। मेमा डांडी अहिरान गांव बस्ती से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर खजांची द्विवेदी के खेत के पास मेड़ पर सुनसान स्थान पर बारिश से भीगी हुयी अकेली मिली जहां उचित मौका पाकर मैंने उसी की साड़ी से गला दवाकर उसकी हत्या कर दी और वहां से भाग आया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

अभियुक्त राजा यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी कल्याणपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट हाल पता डांडी अहिरान मजरा छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी प्रभारी एसओजी/स्वाट टीम
2. निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर
3. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थानाध्यक्ष मारकुण्डी
4. वरि0उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना मानिकपुर
5. उ0नि0 श्री प्रभाकर सचान थाना मारकुण्डी
6. मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार द्विवेदी स्वाट टीम
7. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा स्वाट टीम
8. आरक्षी वेदांत पाण्डेय थाना मानिकपुर
9. आरक्षी रामकेश कुशवाहा थाना मानिकपुर
10. आरक्षी प्रमोद कुमार थाना मारकुण्डी
11. आरक्षी संतोष थाना मारकुण्डी

(4). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्या एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री जयप्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 967/2010 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. नत्थू पुत्र पूनी कुम्हार 2. मनीष पुत्र अमृत लाल कोल 3. राजेन्द्र कोल पुत्र भुलई कोल निवासीगण हरदीकलां थाना बरगढ़ 4. तुलसीदास

दुबे पुत्र शंकर लाल निवासी ललई थाना बरगढ़ को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 11.11.2010 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री चिरन्जीव मोहन द्वारा थाना बरगढ़ में अभियुक्त अभियुक्त 1. शंकर उर्फ विनोद उर्फ अद्धा पुत्र शिवप्रसाद निवासी बोझ फार्म थाना बरगढ़ 2. नत्थू 3. मनीष 4. राजेन्द्र कोल 5. तुलसीदास उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 967/2010 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 14.11.2011 को आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। दौरान विचारण अभियुक्त शंकर उर्फ विनोद उर्फ अद्धा उपरोक्त की मृत्यु हो गयी थी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह तथा मुख्य आरक्षी फरजंद अली द्वारा वाद संख्या 512/2023 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त योगेन्द्र कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ताम्रबनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट श्री दीपनारायण तिवारी द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2015 धारा 452,307,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेश सिंह उर्फ करन पटेल सिंह पुत्र हुबलाल सिंह उर्फ झुण्डा निवासी टिकरा मऊ जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कारावास व 7 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.05.2015 को वादी श्री राममिलन पुत्र भइयालाल निवासी टिकुरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त राजेश सिंह उपरोक्त द्वारा उनके घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर गाली-गलौज की तथा उसके पिता भइयालाल को जान से मारने की नियत से पेट में चाकू घोंप दी है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 105/2015 धारा 452,307,504 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम राजेश सिंह उर्फ करन पटेल सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गय था। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री अजय कुमार कुलश्रेष्ठ द्वारा मुकदमें की विवेचना कर दिनाँक 05.06.20215 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।